संख्या-38/2026/1488/94-1-2026-312(177)/2025

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त स्टाम्प,
उ0प्र0 प्रयागराज।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 17 जुलाई, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0 91 राजस्व लेखा 2030 स्टाम्प पंजीकरण, 01 स्टाम्प न्यायिक, 102 स्टाम्पों की बिक्री 03 न्यायिक स्टाम्प 42 अन्य व्यय के मद में से रु0 16 लाख मात्र का पुनर्विनियोग अनुदान सं0 91 राजस्व लेखा 2030 स्टाम्प पंजीकरण, 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर, 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 अधिष्ठान 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के मद में करने संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1538/01-स्टाम्प बजट आवंटन/2026-27 दिनांक 03-07-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0 91 राजस्व लेखा 2030 स्टाम्प पंजीकरण, 01 स्टाम्प न्यायिक, 102 स्टाम्पों की बिक्री 03 न्यायिक स्टाम्प 42 अन्य व्यय के मद में से रु0 16 लाख मात्र का पुनर्विनियोग अनुदान सं0 91 राजस्व लेखा 2030 स्टाम्प पंजीकरण, 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर, 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 अधिष्ठान 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के मद में किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0 91 राजस्व लेखा 2030 स्टाम्प पंजीकरण, 01 स्टाम्प न्यायिक, 102 स्टाम्पों की बिक्री 03 न्यायिक स्टाम्प 42 अन्य व्यय के मद में से अनुदान सं0 91 राजस्व लेखा 2030 स्टाम्प पंजीकरण, 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर, 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 अधिष्ठान 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के मद में कुल धनराशि रु० 15,43,000/- (रुपये पन्द्रह लाख तैतालीस हजार मात्र) का निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुनर्विनियोग की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/ प्रतिबन्धों-

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है।

(4) उक्त मदों में पुनर्विनियोग की गयी धनराशि का व्यय किये जाने में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) पुनर्विनियोग की गयी धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

(6) प्रकरण के विधिक पक्षों के परीक्षण तथा देय धनराशि के निर्धारण आदि का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय का होगा।

(7) यह आदेश वित्त विभाग के आर0ई0 संख्या-बजट-1-041 दिनांक 14-07-2026 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रु० 15,43,000/- (रुपये पन्द्रह लाख तैतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-091 लेखा शीर्षक 2030020010300 16-अन्य व्यय के मद में भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-38/2026/1488(1)/94-1-2026-312(177)/2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र० प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in